Alberta

न्यूज रिलीज

परिवारों को सूचित और शामिल रखना

29 अक्टूबर, 2026 मीडिया पूछताछ

अल्बर्टा सरकार ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने और परिवारों को उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में साफ़ और एक जैसी जानकारी देने के लिए बदलाव कर रही है।

अल्बर्टा सरकार 'बिल 35' - 'शिक्षा और बाल देखभाल (अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करना) क़ानून संशोधन अधिनियम, 2026' - पेश कर रही है। इसका उद्देश्य अल्बर्टा की शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही को मजबूत करना और पारदर्शिता में सुधार लाना है। यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो 'शिक्षा अधिनियम' में होने वाले संशोधनों के तहत शिक्षा और बाल देखभाल मंत्री को प्रांतीय रिपोर्ट कार्ड के मानक तय करने का अधिकार मिलेगा। साथ ही, इससे 'पेशेवर विकास दिवसों' (professional development days) के संबंध में अधिक पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों की अनसुलझी चिंताओं के समाधान के लिए एक सुसंगत प्रक्रिया तैयार हो सकेगी।

"हम अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा के केंद्र में रख रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें स्पष्ट जानकारी और अधिक पारदर्शिता दे रहे हैं, साथ ही परिवारों को सूचित रहने और शिक्षा प्रक्रिया में शामिल होने के बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।"

-डेमेट्रियोस निकोलाइड्स, शिक्षा और बाल देखभाल मंत्री

स्पष्ट और एकसमान रिपोर्ट कार्ड

- प्रस्तावित रिपोर्ट कार्ड मानक यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि अल्बर्टा भर के परिवारों को छात्रों की प्रगति और उपलब्धियों के बारे में स्पष्ट और एकसमान

Classification: Public

जानकारी मिले। साथ ही, स्कूल बोर्डों को यह तय करने की छूट बनी रहेगी कि रिपोर्ट कार्ड का प्रारूप कैसा हो और उसे कैसे दिया जाए।

PD (प्रोफेशनल डेवलपमेंट) दिनों के बारे में अधिक पारदर्शिता

- स्कूल प्रशासन को 'प्रोफेशनल डेवलपमेंट' (PD) दिनों और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्य दिवसों में की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी सार्वजनिक रूप से देनी होगी। इससे अभिभावकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि स्कूल इन दिनों का उपयोग छात्रों की सफलता में मदद करने के लिए कैसे करते हैं।

अभिभावकों की अनसुलझी चिंताओं को दूर करने में मदद

- इस कानून के तहत स्कूल बोर्डों को ऐसी प्रक्रियाएं बनानी होंगी, जिनसे वे उन अभिभावकों की चिंताओं को सुन सकें और उनका समाधान कर सकें, जो स्कूल स्तर की मौजूदा प्रक्रियाओं से हल नहीं हो पाई हैं। अभिभावकों से अब भी यही अपेक्षा की जाएगी कि वे अपनी चिंताएं स्कूल और स्कूल बोर्ड की मौजूदा प्रक्रियाओं के माध्यम से ही उठाएं, और इन चिंताओं को सुलझाने की जिम्मेदारी स्कूल बोर्ड की ही होगी।
- अल्बर्टा सरकार एक ऑनलाइन टूल भी विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे परिवारों को अपनी चिंताओं के समाधान खोजने में मदद मिले और सरकार को पूरे प्रांत से जुड़े नए मुद्दों की पहचान करने में आसानी हो।

स्कूलों के नामकरण की प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी

- यह कानून 'कक्षाओं से राजनीति और विचारधारा को हटाने और शिक्षा अधिनियम, 2026 में संशोधन करने वाले अधिनियम' (An Act to Remove Politics and Ideology from Classrooms and Amend the Education Act, 2026) में भी बदलाव करेगा। इसके तहत, पब्लिक स्कूल बोर्डों को अपने स्वामित्व वाली किसी स्कूल इमारत का नाम रखने या बदलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मंत्री की मंजूरी लेनी होगी। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद, बोर्ड स्कूल के नामकरण या

Classification: Public

उसे बदलने से जुड़ी स्थानीय चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।

"परिवारों के साथ मजबूत रिश्ते छात्रों की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। यह सुनिश्चित करना कि परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए पूरी तरह सूचित और शामिल रहें, एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हम बहुत महत्व देते हैं। अल्बर्टा भर में एकसमान व्यवस्था होने से परिवारों को अपने बच्चों की प्रगति को समझने में अधिक स्पष्टता मिलेगी, उन्हें मदद के बेहतर अवसर मिलेंगे, और वे जानकारी तथा मार्गदर्शन तक आसानी से पहुंच सकेंगे।"

-सैंड्रा पलाज़ो, बोर्ड चेयर, एडमोंटन कैथोलिक स्कूल्स

"ये कदम परिवारों और स्कूलों के बीच स्पष्ट संवाद और विश्वास को बढ़ावा देते हैं। ASCA का मानना है कि यदि अभिभावक अच्छी तरह सूचित और जागरूक हों, तो वे स्कूल समुदाय में सबसे मजबूत सहारा बन सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी छात्र सफल हों।"

-मेगन पेरिसियन, अध्यक्ष, अल्बर्टा स्कूल काउंसिल्स एसोसिएशन

"बिल 35 यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे स्कूलों में अभिभावकों की बात स्पष्ट रूप से सुनी जाए और एकसमान रूप से मानी जाए। ये बदलाव विश्वास और सहयोग को मजबूत करते हैं, क्योंकि इनके जरिए छात्रों की प्रगति और बोर्ड की कार्यप्रणालियों से जुड़ी जानकारी हर परिवार तक आसानी से पहुंच सकती है।"

-टिम ड्राइडगर, बोर्ड चेयर, फोर्ट वर्मिलियन स्कूल डिवीजन

इन प्रस्तावित बदलावों से परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी मिलेगी, शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, और परिवारों को अपनी चिंताओं को उठाने और उनके समाधान के लिए बेहतर और सुसंगत तरीके मिलेंगे।

Classification: Public

मुख्य तथ्य

- यदि ये बदलाव पारित हो जाते हैं, तो 'शिक्षा अधिनियम' (Education Act) में किए गए संशोधन लागू हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये 2027-28 शैक्षणिक वर्ष तक लागू हो जाएंगे।
- मानकीकृत रिपोर्ट कार्ड (standardized report cards) से जुड़े संशोधन पब्लिक और सेपरेट स्कूल बोर्डों, तथा फ्रैंकोफोन क्षेत्रीय प्राधिकरणों (Francophone regional authorities) पर लागू होंगे।
- स्कूल प्राधिकरणों को 'गैर-शैक्षणिक परिचालन दिवसों' (non-instructional operational day activities) की गतिविधियों के बारे में, ऐसी प्रत्येक गतिविधि के 60 कैलेंडर दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से जानकारी देनी होगी। यह नियम पब्लिक और सेपरेट स्कूल बोर्डों, फ्रैंकोफोन क्षेत्रीय प्राधिकरणों, चार्टर स्कूल संचालकों और मान्यता प्राप्त स्वतंत्र स्कूल संचालकों पर लागू होगा।
- अनसुलझे विवादों या चिंताओं के संबंध में अभिभावकों की पूछताछ से जुड़े संशोधन, पब्लिक और सेपरेट स्कूल बोर्डों, फ्रैंकोफोन क्षेत्रीय प्राधिकरणों और चार्टर स्कूल संचालकों पर लागू होंगे।
- तीन 'मंत्रिस्तरीय आदेश' (Ministerial Orders) इन बदलावों को लागू करने में मदद करेंगे, जिनके तहत निम्नलिखित चीजें तय की जाएंगी:
 - रिपोर्ट कार्ड जारी करने के लिए प्रांतीय मानक;
 - 'गैर-शैक्षणिक परिचालन दिवसों' की गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक जानकारी देने की आवश्यकताएं; और
 - स्कूल प्राधिकरणों के लिए ऐसी संरचनाएं, कार्य और सेवा मानक, जो उन्हें अभिभावकों की ओर से आने वाले अनसुलझे विवादों या चिंताओं से जुड़ी पूछताछ को प्राप्त करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया विकसित करने और लागू करने में मदद करेंगे।
- इन प्रस्तावित 'मंत्रिस्तरीय आदेशों' के बारे में अधिक जानकारी 2027-28 शैक्षणिक वर्ष से पहले उपलब्ध करा दी जाएगी।

Classification: Public

- इन प्रस्तावित संशोधनों में 'शिक्षा अधिनियम' के भीतर कुछ छोटे-मोटे संपादकीय और तकनीकी बदलाव भी शामिल हैं, जो हाल ही में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गए हैं।
- ये प्रस्तावित संशोधन, 'प्रारंभिक शिक्षा और बाल देखभाल अधिनियम' (Early Learning and Childcare Act) में किए जा रहे बदलावों के साथ-साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं।.

संबंधित जानकारी

- शिक्षा और बाल-देखभाल प्रणालियों में जवाबदेही को मजबूत करना

संबंधित समाचार

- बच्चों की सुरक्षा, माता-पिता को सूचित रखना (29 अक्टूबर, 2026)
- कक्षाओं से राजनीति और विचारधारा को हटाना (31 मार्च, 2026)

मल्टीमीडिया

- प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें

मीडिया पूछताछ

गैरेट कोहलर

780-427-5010

सीनियर प्रेस सेक्रेटरी, शिक्षा और चाइल्डकेयर

Classification: Public